in Delhi is being undertaken by M/s Keltron, a public sector company of Kerala Government. Before taking a decision to instal a traffic signal, a feasibility study is carried out keeping in view the warrants laid down by the Indian Road Congress. These relate to (i) minimum vehicular volume; (ii) interruption of continuous traffic; (iii) minimum pedestrian volume; and (iv) past accidents experience.

Babri Masjid Ram Janam Bhoomi

1395. SHRI SHANTI TYAGI:
SHRI SHIV PRATAP MISHRA:
SHRI MENTAY PADMANABHAM:
DR. NAGEN SAIKIA:
SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL:
MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:
SHRI SOM PAL:
SHRIMATI MIRA DAS:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS bt pleased to state:

(a) whether Government are aware of the Uttar Pradesh Government's and V.H.P.'s moves on Babri Masjid Ram Janam Bhoomi;

(b) if so, whether Government would direct the Uttar Pradesh Government that Babri Mosque should not be demolished nor its structure transferred to other place;

(c) whether the U.P. Government propose to acquire the disputed site for the construction of the temple;

(d) if so, whether there is any legal basis for the same; and

(e) what is the Central Government's reaction in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (e) The matter is *sub-judice* and the issues primarily concern the State Government. As such no direction to State Government is called for.

विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबंध

@1396. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कौन-कौन से क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध है ;

(ख) ऐसा प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कतिपय विदेशी पर्यटकों ने ऐसे प्रतिबंध का उल्लंघन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम एम० जैकब) : (क) विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 और विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश 1963 के अधीन जम्मू और कश्मीर की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ कुछ क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों, संपूर्ण सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा और संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ को संरक्षित क्षेत्र और प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किय गया है । तथापि काशीरंग और मानस राष्ट्रीय उद्यानों; गोहाटी (कामाखैया मंदिर सहित) असम में शिव सागर और जंटिगा पक्षी विहार, मेघालय में शिलांग, बारापानी और चैरापूजी, सिक्किम में गंगटोक, रूंगटेक, फोडंग, पैमेयंगटस और जोंगरी, मनीपुर

@पूर्वत: आतरांकित प्रश्न 1035, 29 जुलाई, 1991 से स्थानांतरित ।

में इंफाल, लोकटेक झील, मौरंग, आई० एन०ए० मेमोरियल, कैथूल हिरण विहार और वैथ झील, पोर्ट ब्लेयर का नगर पालिका क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हेव लौक, जूली बान, दक्षिण और उत्तरी चिक, रैड स्किन और नील द्वीप समूह नामक पर्यटक महत्व के इन क्षेत्रों में परमिट से विदेशी पर्यटकों को जाने की अनुमति है। लक्ष्यद्वीप की यात्रा के इच्छुक विदेशी पर्यटकों को जाने की अनुमति है। लक्ष्य द्वीप की यात्रा के इच्छुक विदेशी पर्यटकों को भी स्थानीय विनियमों के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करनी होती है।

(ख) विभिन्न पहलुओं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से नजदीकी कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति, राज्य की संवेदनशीलता और विघटनकारी तत्वों की उपस्थिति इत्यादि के कारण इस प्रकार के प्रतिबंध लगाये जाते हैं।

(ग) और (घ) जब कभी कोई विदेशी आवश्यक परमिट के बिना इन क्षेत्रों में प्रवेश करता हुआ पाया जाता है तो संबंधित राज्य सरकार जिन्हें इस प्रकार की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, द्वारा उसके खिलाफ विदेश अधिनियम 1946 के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

श्री राजीव गांधी के हत्यारों के विषय में सूचना देने वालों के लिए इनाम

1397. श्री शंकर दयाल सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राजीव गांधी के हत्यारों तथा उनके सहयोगियों के बारे में सुराग देने वालों को 10 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को किन्हीं सूत्रों से कोई सूचना प्राप्त हुई है और क्या इनाम की राशि किसी व्यक्ति को दी गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सी०बी०आई० विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त कर रही है और उस पर कार्रवाई कर रही है। तथापि, 10 लाख रुपये का इनाम अब तक किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है।

दिल्ली में टैक्सियां तथा तीन पहियों वाले स्कूटर

1398. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चलने वाली टैक्सियों तथा तीन पहियों वाले स्कूटरों की संख्या कितनी है ;

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान इन टैक्सी तथा तिपहिये स्कूटर चालकों द्वारा यात्रियों को तंग करने अथवा उनसे अधिक पैसा वसूलने की कितनी घटनायें हुई हैं ; और

(ग) यात्रियों की परेशानी को दूर करने के लिये इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) इस समय दिल्ली में लगभग 7,500 टैक्सी और 63,000 तिपहिया स्कूटर चल रहे हैं।

(ख) 1-4-91 से 30-6-91 तक की अवधि के दौरान दुर्व्यवहार, यात्रियों को ले जाने से मना करने और अधिक किराया वसूल किये जाने के अपराध के लिये दिल्ली पुलिस ने 53 टैक्सी ड्राइवरों और 1,355 दी सी०आर० ड्राइवरों के विरुद्ध इस्तगासे की कार्रवाई की। इसके अलावा, यातायात पुलिस मुख्यालय/राज्य परिवहन प्राधिकरण में 921 शिकायतें प्राप्त हुई/दर्ज की गई।

(ग) दिल्ली प्रशासन के प्रवर्तन (एन्फोर्समेंट) प्राधिकारी, दोषियों के विरुद्ध परमिट विलंबित करने और